

पत्रांक: मान्यता/ ३९०५० - ५५ कार्यालय, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
/2015-16

दिनांक: ३१ दिसम्बर, 2015

प्रबन्धक

संतराम नारायण शंकर शिव पब्लिक स्कूल,
बर्लईन, विकास खण्ड- जमानियां।
गाजीपुर।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं संतराम नारायण शंकर शिव पब्लिक स्कूल को तारीख 01.01.2016 से तारीख 31.12.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नौसीं से कक्षा ०८ (आठ) तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसुचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-१) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-२) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-१ में (या यथार्थता, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उह्ये निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक ढैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संदर्भण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चित ग्रन्ति/दिशा आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(i) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनोर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रशुतविद्याएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	- 9000 वर्ग फिट।
कुल निर्मित क्षेत्र	- 6000 वर्ग फिट।
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	- उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	- बारह (12)
प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—सभागार के लिए कक्ष	- दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	- उपलब्ध
पेयजल सुविधा	- उपलब्ध
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई	- उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	- उपलब्ध

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालयों की उपलब्धता - उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या L-8 (E) 117/2015 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कभियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

मवदीय

१८.३.२०१५
(चन्द्रकेश सिंह यादव)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांक संख्या मान्यता/ / 2015-16

तददिनांक।

- प्रतिलिपि निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित-
- 1- शिक्षा निदेशक (वैसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 2- सचिव उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 - 3- सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
 - 4- वित्त एवं लेखाधिकारी वैसिक शिक्षा, गाजीपुर।
 - 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
 - 6- कार्यालय प्रति।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।